



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh



F.No. -: 9-HRB046/2018-CHA

दिनांक: 18-November-2019

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ़।

विषय: Diversion of 0.019 ha of forest land in favour of Sh. Charan Singh, Sh. Om Parkash and Sh. Narender Yadav for access to warehouse project of Sh. Charan Singh, Sh. Om Parkash and Sh. Narender Yadav, along Gurugram-Pataudi road, km. 23-24, R/side, at Village Jauri, under forest division and District Gurugram, Haryana. (Online proposal No. FP/HR/Road/30222/2017)-regarding.

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन-8280/4071 दिनांक 27.02.2019 व मुख्य वन संरक्षक (FCA) के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन-8280/3127 दिनांक 31.10.2019

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु 0.019 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैधांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

- i. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम as per latest norms के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये
 - ii. As violation is reported by State Government, a penalty as per Guidelines 1.21 (ii) is imposed, which inter-alia stipulates *"the penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposit is made"*.
 - iii. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजेंट वैल्यू जमा करवाई जाये।
 - iv. प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएगी।
 - v. User agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.
 - vi. Status of EC alongwith construction details of the project be provided.
 - vii. FRA Certificate of competent authority to be submitted.
3. अन्तिम स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जायेगा।

- i. वन भूमि की विशिष्ट परिस्थिति बरबी नहीं जाएगी।
- ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम पेड़ व पोल काटे जायेंगे। प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 05 से अधिक नहीं होगी।
- iii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- iv. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- v. जब कभी भी NPV की राशी बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
- vi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- vii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- viii. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।
- ix. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा (अधिनियम, 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- x. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
- xii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

4. उपरोक्त पैरा 2-के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2-के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। केंद्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

भवदीय,



(सी०डी० सिंह)

उप वन महानिदेशक (केंद्रीय)

18/11/2019

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण परिवर्तन जलवायु एवं वन, मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. PCCF (HoFF), Forest Department, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana.
3. Divisional Forest Officer and Forest Division Gurugram, Haryana.
4. Sh. Narender Yadav, V.P.O. Wazirabad, Near Shiv Mandir, Gurugram, Haryana.